न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 43/2022

बउनवान

अमरसिंह आयु 35वर्ष पुत्र श्री रामचरण जाति–सहरिया निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां (राजस्थान) उचित मूल्य दुकानदार रामपुरिया, ग्राम पंचायत बांसथूनी तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 29.08.2023

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 31.05.2019 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत इस आशय की पेश की है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 68/2002 को निरस्त कर दिया एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने 11.65 क्विं. गेंहू का दुरूपयोग का आरोप लगाया एवं स्टॉक रजिस्टर व पॉश मशीन में अन्तर पाया गया जबकि निर्णय में 84.65 क्विं. गेंहू की राशि वसूली का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनगढंत तथ्यों पर आधारित हैं क्योंकि प्रवर्तन अधिकारी बारां की जांच रिपोर्ट में 11.65 क्विं. गेंहू के दुरूपयोग का आरोप व राशन कार्डो की जांच के आधार पर लगाये गये परन्तु निर्णय में 73.00 क्विं. गेंहू का भौतिक सत्यापन में कम पाया जाना बताया, जिसकी जांच रिपोर्ट एवं शिकायतों से पुष्टि नहीं होती जिससे निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधि[illegible] बाबत कोई विवेचना निर्णय में उल्लेखित नहीं होने से काबिल खारजी है। [illegible]ंक 31.05.2019 की ऑर्डर शीट पर अपीलांट के खिलाफ 84.65 क्विं[illegible]रित कर प्राधिकार पत्र अपीलांट निरस्त कर दिया, जब[illegible] 84.65 [illegible] की वसूली बाबत कोई सुनवाई का अवसर नहीं देकर कानूनी भूल की है। अपीलांट आदिवासी सहरिया जाति क[illegible]ांग व्यक्ति है, ऑर्डर शीटों में उसे बिना समझाये व बताये हस्ताक्षर कराये हैं तथा दिनां[illegible].02.2018 का शपथ पत्र भी निलम्बित लाईसेंस को बहाल करने का भरोसा देकर अपीलांट से लिया गया है जबकि दिनांक 03.02.2018 तारीख पेशी नियत नहीं थी। ऑर्डर शीट दिनांकब 15.02.2018 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:08 IST
Reason: SelfAttested

21.05.2018 तक अपीलांट को अनुपस्थित बताया है बाद में 21.02.2019 को तारीख पेशी पर 21.05.2018 की ऑर्डर शीट में सूचना पत्र जारी कर बुलवाया, यानि नौ माह बाद नई सुनवाई शुरू कर दी जो कि दिनांक 21.02.2019 की ऑर्डर शीट में एक वर्ष बाद अपीलांट के शपथ पत्र को रिकार्ड पर लेकर की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 को निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 68/2002 को बहाल करने का आदेश फरमावें।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को 11.65 क्विं. गेंहू के गबन का दोषी मानकर नोटिस जारी किया तथा पारित निर्णय में गेंहू की मात्रा 84.65 क्विं. अंकित कर दी। आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर दिनांक 25.10.2017, 27.11.2017,21.02.2019 एवं 21.05.2019 को हुए हैं परन्तु दिनांक 26.03.2019 एवं दिनांक 31.05.2019 को अंकित हस्ताक्षर अपीलांट के नहीं हैं। हस्ताक्षरों में विरोधाभास है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 31.05.2019 निरस्त कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस 11.65 क्विं. के दुरूपयोग का जारी किया गया जबकि निर्णय दिनांक 31.05.2019 में गेंहू की मात्रा 84.65 क्विं. अंकित है, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका में 73 क्विंटल गेंहू भौतिक सत्पान में कम पाये जाने बाबत अंकन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन असत्य है कि प्रकरण में उसे 11.65 क्विं. गेंहू के दुरूपयोग का नोटिस जारी कर निर्णय में 84.65 क्विं. अंकित कर निर्णय पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)